न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/15/2022	2022/22	04.02.2022	20.06.2022

1. बोदन पुत्र बीरबल, जाति अहीर, निवासी बसई बीरथल, तहसील किशनगढबास , जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2021 नायब तहसीलदार किशनगढबास प्रकरण संख्या 62/2021

उपस्थितः–

01. श्री सूबेसिंह यादव –वकील अपीलाण्ट

02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनांक 15.02.2021 प्रकरण संख्या 62/2021 जिसके द्वारा संवत 2077 में ग्राम बसई बीरथल की आराजी खसरा न0 560 रकबा 1.85 है0 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.10 है0 फसल सरसों एवं आराजी खसरा न0 203 रकबा 0.34 है0 किस्म बंजड में से अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 में सरसों की बुबाई करने पर बेदखली की कार्यवाही, पैनल्टी कायम एवं 03 माह (90दिवस) के साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम बसई बीरथल की सरकारी आराजी खसरा न0 क्रमश 560, 203 कुल रकबा 1.85 है0 व 0.34 है0 किस्म क्रमश चारागाह, बंजड में से रकबा क्रमश 0.10 व 0.15 है0 पर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर फसल क्रमश सरसों की काश्त कर रबी संवत 2077 में अतिक्रमण कर लिए जाने पर पटवारी हल्का नयां गांव द्वारा 08.02.2021 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0अ0नि0 वृत माछरोली के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

बाद अपीलान्ट नियत तारीख पेशी दिनांक 12.02.2021 एवं दिनांक 15.02.2021 को अनुपस्थित रहा जो शामिल मिसल किया गया एवं अपीलान्ट के पूर्व में भी दिनांक 07.01.2021 को उक्त आराजी खसरा न0 से बेदखल करने के बाबजूद पुन अतिक्रमण कर फसल काश्त की जा रही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर आर्थिक दण्ड स्वरूप शरह लगान के 50 गुना पैनल्टी राशि 28 रूपये एवं 03 माह (90 दिवस) के साधारण कारावास से दण्डित किया जाकर भू0 अभिलेख नि0 एवं पटवारी हल्का को अहकाम जारी किया गया कि आराजी मुन्तजा को कब्जेराज लेकर अपीलान्ट को मौके से बेदखल किया जावे। एवं नाजायज फसल को कुर्क की जाकर नीलामी की कार्यवाही कर तहसील राजस्व लेखों में कायम करावें व अपीलान्ट की गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया जिससे व्यथित होकर अपील न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट को होने पर नियत तारीख पेशी दिनांक 12.02.2021 एवं 15.02.2021 को उपस्थित हुआ। जारी नोटिस में अंकित आराजी खसरा न0 560 व 203 के संबंध में लिखित जबाव पेश किया गया। जबाव में अंकित किया गया कि उक्त आराजी पर मौके पर मेरा कोई कब्जा काश्त आज दिनांक तक नहीं है, पैमाइश करा ली जावे यदि बाद पैमाइश कोई रकबा पर मेरा कब्जा पाया जावे तो उसे छोडने को तैयार हूं। पटवारी हल्का द्वारा गलत आधार पर रिपोर्ट की गई है। मैं अपनी खातेदारी रकबा को जोत–बो व काश्त कर रहा हूं इसीलिए मेरे विरूद्ध जारी नोटिस को विड्रा फरमावें परन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रा0 प0 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया गया एवं बेजा व गलत प्रकार से प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित आराजी पर अतिक्रमण होना मानकर व पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट के खिलाफ आलोच्य आदेश पारित किए गए इसीलिए तहत अदालत के आदेश इसी बिना पर अपास्त किए जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में कहीं भी यह अंकित नहीं किया हुआ है कि कब किस वर्ष पूर्व में अतिक्रमण किया गया था। इस प्रकार तहत अदालत के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता था। फिर भी वगैर तत्थों पर गौर किए ही उक्त आलोच्य आदेश पारित किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा न तो कोई पूर्ववर्ती अतिक्रमण के संबंध में घटना बही पेश की गई है और न ही पटवारी हल्का द्वारा दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया है और न ही पटवारी हल्का के बयानात लिए गए हैं। इस प्रकार अधीनस्थ अदालत जो कार्यवाही की गई, वह गलत है एवं बाला–बाला होकर मिन अपीलान्ट के खिलाफ आदेश पारित किए गए हैं जो कि निरस्त किए जाने योग्य हैं। मिन अपीलान्ट ने विवादित रकबे पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा न0 560, 203 में से 0.10 और 0.15 है0 पर सरसों की फसल कर कब्जा कर अतिक्रमण होना बताया जबकि उक्त आराजी खसरा न0 560 एवं 203 में कोई अतिक्रमण नही है और न ही कोई फसल बोयी गई है जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा एक हलफनामा पेश किया गया है। जिसमें उक्त आराजी खसरा न0 560 व 203 में किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना बताया गया है एवं न ही वर्तमान में कब्जा है और न ही भविष्य में कोई कब्जा किया जावेगा, पेश किया गया है। उक्त आलोच्य आदेश से अपीलान्ट के हक व हकूक जायल होते हैं इसीलिए अपीलान्ट के खिलाफ पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं। अतः मिन अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत नायब तहसीलदार किशनगढबास के आदेश दिनांक 15.02.2021 को अपास्त फरमावें।

20.6.2022

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 09.02.2021 का अपीलान्ट द्वारा कोई जबाव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया गया है जो संलग्न पत्रावली नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2021 के अनुसार संवत 2077 वाके ग्राम बसई बीरथल के आराजी खसरा न0 560 रकबा 1.85 है0 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.10 है0 में फसल सरसों एवं आराजी खसरा न0 203 रकबा 0.34 है0 किस्म बंजड में से अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 में सरसों की बुबाई कर अतिक्रमण किया गया है एवं कैफियत में अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है जिसके संबंध में दैनिक डायरी रिपोर्ट 07.01.2021 के क्रम संख्या 29 पर अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल किया जाना अंकित किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित आराजी अपनी खातेदारी भूमि से लगती हुई अंकित किया है जिसपर अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर ही कब्जा होना बताया गया। अगर उक्त विवादित आराजी की पैमाइश करा ली जावे, मौके पर मेरा कब्जा पाया जाये तो मैं छोडने को तैयार हूं परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपील में उक्त विवादित आराजी खसरा न0 560, 203 के अलावा अपनी खातेदारी भूमि के आराजी खसरा न0 अंकित नहीं किये हैं, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य (जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी) पेश की गई है जिससे अपील में अंकित तथ्य साबित नहीं होना पाया जाता है। आराजी खसरा न0 560 रकबा 1.85 है0 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.10 है0 में फसल सरसों एवं आराजी खसरा न0 203 रकबा 0.34 है0 किस्म बंजड में से अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 में सरसों की बुबाई कर अतिक्रमण होना सिद्ध होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 560 रकबा 1.85 है0 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.10 है0 में फसल सरसों एवं आराजी खसरा न0 203 रकबा 0.34 है0 किस्म बंजड में से अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 में सरसों की बुबाई पर पश्चातवृती अतिक्रमी सिद्ध होना पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनांक 15.02.2021 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनाक 19.02.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

20/6/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)